(रीडर)

आज पक्ष अभिभाषक/अभिभाषक संघ के न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त .... है। पत्रावली बाद आदेशानुसार दि. 16/2/24 को पेश हो।

(रीडर)

आज पक्ष अभिभाषक/अभिभाषक संघ के न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक [illegible]

पत्रावली बाद आदेशानुसार दि. .... को पेश हो।

13/3/24

(रीडर)

वकील वादी उप. प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु वकील वादी ने निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं अतः दावा अन्तिम डिक्री कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार किया जाता है। फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या : 69/2023

शीर्षक

1. विमला देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी रानीपुरा मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0। — वादीया

बनाम

1. कमली देवी पत्नी सुवालाल पुत्री हीरा
2. संतरा देवी पत्नी भंवर पुत्री हीरा

समस्त जाति जाट निवासी पीलवा की ढाणी खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर

3. कमलेश उर्फ कमला देवी पुत्री कन्हैयालाल
4. नन्दी देवी उर्फ विमला पुत्री कन्हैयालाल
5. रामसिंह
6. सतवीर उर्फ राजू } पुत्रान कन्हैयालाल
7. महेन्द्र

8. कालूराम
9. गुलाब
10. हीरालाल } पुत्रान धीसाराम
11. बनवारी
12. रामस्वरूप
13. गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
14. गोमा पुत्र झूथा
15. सूवा पुत्र झूथा
16. रामा पुत्री रामू
17. हजारी पुत्र दुर्गा
18. कैलाश पुत्र दुर्गा
19. मुकेश पुत्र दुर्गा
20. महारानी देवी पुत्री दुर्गा
21. सन्ती पुत्री दुर्गा
22. खीचड़ पुत्र बालू
23. चौथू पुत्र बालू
24. नारू पुत्र बालू
25. कमली पुत्री बालू
26. लाडी पुत्री बालू
27. मोटूराम पुत्र जोरू
28. फूली देवी पत्नी जोरू
29. संतोष देवी पुत्री जोरू
30. मोटी देवी पुत्री जोरू
31. झूमा देवी पुत्री जोरू
32. सीमा देवी पत्नी हरि

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

33. लालचन्द पुत्र हरि
34. मंजू पुत्री हरि
35. रेखा पुत्री हरि
36. दीपीका पुत्री हरि
37. सपना पुत्री मोहन
38. मंजू देवी पुत्री सुरजाराम
39. सुखाराम पुत्र हनुमान

समस्त जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जयपुर राज0।

40. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 13/3/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 1105/1.01, 1106/0.37 कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदार नाथी पत्नी रामु फौत हो चुकी है, जिसके कानुनी वारीस प्रतिवादी संख्या लगायत 21 को पक्षकार बनाया तथा नाथी पुत्री सारा को प्रतिवादी संख्या 16 का पक्षकार बनाया खातेदार बालू पुत्र लादू भी फोत हो चुका है, जिसके कानूनीवारीस उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 22,23,24 व उसकी पुत्री 25 व 26 है। तथा बालू का एक पुत्र फोत हो चुका है। जिसके कानूनी वारीस 27 लगायत 31 है, तथा जारू के पुत्र हरी व मोहन भी फोत हो चुके है जिसके कानूनी वारीस 32 लगायत 37 को पक्षकार बनाया है, आराजीयात भूमि का वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है ओर वादी व प्रतिवादीगण ने मनबंट बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 39 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उसने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीया को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाउ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा है। आज से सप्ताह भर प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 39 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की बाते कर रहे थे तथा वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेगे तथा पुख्ता निर्माण निर्माण कार्य करके रहेगे तथा वादीया के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो गये आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेगे। प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 39 अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा बिना बंटवारे के

आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया तो वादीया के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा ओर अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार की धनराशि के रूप मे नही की जा सकेगी और पक्षकारो के मध्य आपस मे मुकदमे बाजी बढेगी।

अन्त मे निवेदन किया कि हाल ख0 नं0 1105/1.01, 1106/0.37 कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि वाकै ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तह0 शाहपुरा जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 39 के मध्य राजस्व नियमावली के अनुसार विधिवत तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जोवे कि वे वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। दिनांक 11.08.2023 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 39 बावजूद तामिल व सूचना के अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवही अमल में लाई गयी तथा वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री कर बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 04.09.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/360 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है। अतः दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 1105/1.01, 1106/0.37 कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि वाकै ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

1. (1) गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण खा0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया शाखा बिलान्दरपुर, (2) बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण खा0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया शाखा बिलान्दरपुर, (3) मंजू देवी पुत्री सुरजाराम हिस्सा 432/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1105/1.0100, 1106/1/0.0250 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0350 है0 भूमि रहेगी।

2. (1) कर्मा देवी उर्फ कान्ता देवी, नंछी देवी उर्फ निशा पुत्रीया कन्हैयालाल, रामसिंह, सतवीर उर्फ राजू पुत्रान कन्हैयालाल हिस्सा 4313/345000, महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 4312/345000, जाति जाट सा0 देह खातेदार, (2) कालूराम, गुलाब, छीतरमल, बंशीधर, रामेश्वर पुत्रान घीसाराम हिस्सा 230/345 राहिन हिस्सा 230/345 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उदयपुरिया सा0 देह खातेदार, (3) गोमा, सुवा पुत्रान झूंथा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (4) दुर्गा पुत्र रामू, नाथी पत्नी रामू हि0 1/20 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (5) बालू पुत्र लादू हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (6) ...डाराम पुत्र हनुमान हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (6) ...ी पुत्रियां हीरा हि0 8625/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (7) कमली देवी संतरा ... न0 1106/0.3450 है0 भूमि रहेगी। ... के हिस्से में आराजी

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज ...ा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा ...। वादीया/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक ... के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री ...हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

...र्णय आज दिनांक 13/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर (ग्रामीण)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज० सत्यमेव जयते
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला जयपुर)

1. (1) गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण ख0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर, (2) बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण ख0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर, (3) मंजू देवी पुत्री सुरजाराम हिस्सा 432/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1105/1.0100, 1106/1/0.0250 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0350 है0 भूमि रहेगी।

2. (1) कर्मा देवी उर्फ कान्ता देवी, नाठी देवी उर्फ निशा पुत्रीया कन्हैयालाल, रामसिंह, सतबीर उर्फ राजू पुत्रान कन्हैयालाल हिस्सा 4313/345000, महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 4312/345000, जाति जाट सा0 देह खातेदार, (2) कालूराम, गुलाब, छीतरमल, ंशीधर, रामेश्वर पुत्रान घीसाराम हिस्सा 230/345 राहिन हिस्सा 230/345 बैंक ऑफ ड़ौदा, शाखा उदयपुरिया सा0 देह खातेदार, (3) गोमा, सुवा पुत्रान झूंथा हिस्सा 1/10 ाति जाट सा0 देह खातेदार, (4) दुर्गा पुत्र रामू, नाथी पत्नी रामू हि0 1/20 जाति जाट ा0 देह खातेदार, (5) बालू पुत्र लादू हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (6) जाराम पुत्र हनुमान हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (7) कमली देवी संतरा ी पुत्रियां हीरा हि0 8625/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी न0 1106/0.3450 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज ा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा । वादीया/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

र्णय आज दिनांक 13/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी — श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या — 50 / 2023

शीर्षक

1. बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी रानीपुरा मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0।

— वादीया

बनाम

1. कमली देवी पत्नी सुगन पुत्री हीरा
2. सन्तरा देवी पत्नी श्रवण पुत्री हीरा
   समस्त जाति जाट निवासी पील्या की ढाणी खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर
3. कमलेदेवी उर्फ कान्ता देवी पुत्री कन्हैयालाल
4. नन्दी देवी उर्फ निशा पुत्री कन्हैयालाल
5. रामसह
6. सतवीर उर्फ राजू } पुत्रान कन्हैयालाल
7. महेन्द्र

8. कालूराम
9. गुलाब
10. धीरमल } पुत्रान धीसाराम
11. बंशीधर
12. रामेश्वर
13. गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
14. गोमा पुत्र झूथा
15. सुवा पुत्र झूथा
16 सावा पुत्री रामू
17. हजारी पुत्र दुर्गा
18. कैलाश पुत्र दुर्गा
19 मुकेश पुत्र दुर्गा
20. प्यारी देवी पुत्री दुर्गा
21. सन्नी पुत्री दुर्गा
22. खोजल पुत्र बालू
23. चौथू पुत्र बालू
24. मारू पुत्र बालू
25. कमली पुत्री बालू
26. लक्ष्मी पुत्री बालू
27. भेरूराम पुत्र जोरू
28. फूली देवी पत्नी जोरू
29. संतोष देवी पुत्री जोरू
30. मोती देवी पुत्री जोरू
31. झूमा देवी पुत्री जोरू

सहायक कलक्टर
(जिला-जयपुर)

32. सीमा देवी पत्नी हरि
33. लालचन्द पुत्र हरि
34. मंजू पुत्री हरि
35. रेखा पुत्री हरि
36. दीपीका पुत्री हरि
37. सपना पुत्री मोहन
38. मंजू देवी पुत्री सुरजाराम
39. रूडाराम पुत्र हनुमान

समस्त जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जयपुर राज0।

40. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर राज0।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) सत्यमेव जयते

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 13/3/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 1105/1.01, 1106/0.37 कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि वाकै ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. (1) गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण खा0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया शाखा बिलान्दरपुर, (2) बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 4959/10350 जाति जाट राहिन हिस्सा 4959/10350 (पूर्ण खा0) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया शाखा बिलान्दरपुर, (3) मंजू देवी पुत्री सुरजाराम हिस्सा 432/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1105/1.0100, 1106/1/0.0250 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0350 है0 भूमि रहेगी।
2. (1) कर्मा देवी उर्फ कान्ता देवी, नंछी देवी उर्फ निशा पुत्रीया कन्हैयालाल, रामसिंह, सतवीर उर्फ राजू पुत्रान कन्हैयालाल हिस्सा 4313/345000, महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 4312/345000, जाति जाट सा0 देह खातेदार, (2) कालूराम, गुलाब, छीतरमल, बंशीधर, रामेश्वर पुत्रान घीसाराम हिस्सा 230/345 राहिन हिस्सा 230/345 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उदयपुरिया सा0 देह खातेदार, (3) गोमा, सुवा पुत्रान झूंथा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (4) दुर्गा पुत्र रामू, नाथी पत्नी रामू हि0 1/20 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (5) बालू पुत्र लादू हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (6) रूडाराम पुत्र हनुमान हि0 23/345 जाति जाट सा0 देह खातेदार, (7) कमली देवी संतरा देवी पुत्रियां हीरा हि0 8625/10350 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1106/0.3450 है0 भूमि रहेगी।

सहायक

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 13/3/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

...द के खर्चे

...दी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
...वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प ...दर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की ... साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय ...मिश्नर की फीस ...आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	|
		जोड़	

सहायक कलक्टर
...) राज.